न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. / निगरानी / अध्यक्ष / 2015 / निग -584-PBR-16

16.2.16 को ... श्रीवास्तव ...

हाकिमसिंह पुत्र. श्री फेरनसिंह निवासी ग्राम खेरियापदमपुर तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रार्थी

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त मुरार ग्वालियर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थी

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार ग्वालियर के द्वारा प्रकरण कमांक 6/2015–16 अ–16 में पारित आदेश दिनांकी 01.12.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 584–पीबीआर/16 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–3–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2– अपर तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–11–2015 के पालन में प्रकरण दर्ज किया जाकर आवेदक पर अधिरोपित अर्थदण्ड 14,44,000/– की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–11–15 से व्यथित है तब उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये । इस प्रकार अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	